भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 4049
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 09 दिसंबर, 2016/18 अग्रहायण, 1938 (शक) को दिया गया)

<u>सीएसआर और सामाजिक लेखापरीक्षण</u>

4049. श्री के.एन. रामचन्द्रन:

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की कारपोरेट कंपनियों से कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के कार्यान्वयन पर बल देने को कहा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर कारपोरेट कंपनियों की क्या प्रतिक्रिया है; और
(ग) क्या सरकार की कारपोरेट क्षेत्र में सुशासन व्यवस्था की सामाजिक लेखापरीक्षा करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार कारोबार (टर्नओवर) या निवल मूल्य या निवल लाभ की निर्दिष्ट ऊपरी सीमा वाली प्रत्येक कंपनी द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर लगातार पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्जित औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करना अपेक्षित है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और इसके अंतर्गत बने नियमों और दिनांक 18 जून 2014 और 12 जनवरी, 2016 को कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी समान्य परिपत्र के साथ पठित अधिनियम के अनुसूची-VII में इस विषय पर व्यापक प्रावधान किए गए हैं, जिसके अंतर्गत पात्र कंपनियों के बोर्ड को अपनी सीएसआर नीतियां तैयार करने और विभिन्न विकास क्षेत्रों में सीएसआर निधियों को आबंटित करने का निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है।

वर्ष 2014-15 में 7334 कंपनियों के संकलित सीएसआर व्यय संबंधी सूचनाओं का मूल्यांकन करने से यह पता चलता है कि 142 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) और 2997 निजी क्षेत्र कंपनियों ने वर्ष 2014-15 के दौरान 8803 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। जिसका सार निम्नलिखित है:

वर्ष 2014-15 के दौरान सीएसआर पर किया व्यय

क्र.सं.	कंपनी का नाम	कुल कंपनियां	सीएसआर व्यय वाली कंपनियों की संख्या	सीएसआर व्यय रहित कंपनियों की संख्या	वास्तविक सीएसआर व्यय (करोड़ रुपये में) (2014-15
1.	पीएसयू	226	142	84	2497
2.	निजी क्षेत्र कंपनियां	7108	2997	4111	6306
	कुल	7334	3139	4195	8803

(ग): जी, नहीं।

*****